

अपील संख्या 17/24

1. महेंद्र पुत्र रामरवरूप जाति माली चितारसी महुकलं तहसील मंगापूर सिटी।

-अपीलाधी

बनाम

1. सरकार जरिगे नायब तहसीलदार तहसील मंगापूर सिटी।

-रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित

1. अधिवक्ता महेश चन्द्र अग्रवाल - अपीलार्थी पक्ष

2. पेरोंकार सरकार

- रेस्पोंडेन्ट पक्ष


दिनांक 05.11.2024

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार मंगापूर सिटी द्वारा गिराल संख्या 87/2024 में पारित निर्णय दिनांक 19/09/2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम चूली के आराजी खं०नं० 1173 रकबा 0.11 है० किरम गै०मु०सरता पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थात् दण्ड स्वरूप शारित आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिगे नोटिस की गई तथा अपीलार्थीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि ग्राम चूली तहसील मंगापूर सिटी में अपीलान्ट के बाबा रोहनलाल उर्फ सोनपाल पुत्र पप्पुमाली के कब्जे कक्षा खातेदारी की आराजी खसारा संख्या 854 रकबा 11 बिस्वा स्थित रही है। जिसका इन्दाज जमाबंदी संवत् 2026 लगायत 2033 में दर्ज है, जिस पर अपीलान्ट के बाबा जीवनपर्यन्त काबिज रहकर कक्षा कर भूमि व फसल से मुश्किल होते रहे हैं। अपीलान्ट के बाबा के इंतकाल के बाद में अपीलान्ट के पिता व अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज रहकर कक्षा कर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। हाल बंदोवरत में उक्त भूमि साबिक खसारा नम्बर 854 रकबा 11 बिस्वा को हाल खसारा नम्बर 1174 रकबा 0.42 है० हाल बंदोवरत में गलत रूप से शामिल कर दिया है, इसी के पास में हाल खसारा नम्बर 1173 रकबा 0.41 है० स्थित रहा है जो कि गौके पर सड़क है, रेवन्यू रिकॉर्ड में इसको भूमि वर्गीकरण गैस्युमकिन सरता दर्ज कर रखा है जो कि नाकाविल कक्षा है। उक्त भूमि खं०नं० 1173 पर अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट के पिता ने अपने अधिकारों हेतु न्यायालय उप जिला कलेक्टर मंगापूर सिटी के यहां पर अपना वाद पत्र उनवानी रामखिलाड़ी वगै० बनाम लैण्ड होल्डर वगै० मुकदमा सं० 61/24 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी रामखिलाड़ी वगै० बनाम लैण्ड होल्डर वगै० मु०नं० 58/24 दाखल कर रखा है। जो जरेकार है। अपीलार्थी को नोटिस धारा 91 लैण्ड रेवन्यू एक्ट का गलत


5/11/24


खिलाफ कानून व कायदे विला मौका कब्जा जांच के दिया गया है जो काविले निरस्त है। अदालत मातहत नायब तहसीलदार द्वारा नोटिस खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.11 दिया गया है, जिसकी प्रतिलिपि भी अपील के साथ पेश की गई है। जबकि आदेश रकबा 0.11 है 0 का पारित करते हुए शारित कुल 1 रु० आरोपित की गई है। जो खिलाफ कानून व कायदा रूएदाद भिन्न होने से लायक मंसूखी है। अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद आरजीयात पर कभी भी कब्जा नहीं किया है नहीं कोई कब्जा है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई राबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमिता आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अदालत मातहत द्वारा नोटिस खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.11 का दिया गया है, जबकि आदेश रकबा 0.11 है 0 का पारित करते हुए शारित कुल 1 रु० आरोपित की गई है। जो सही है, साथ ही परोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, उस पर गनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई राबूत हेतु नोटिस जारी किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत् 2081 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा नवीन अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में अंकित किया है कि उक्त वाद आराजीयात पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं है। अदालत मातहत द्वारा भी अपीलार्थी को उक्त वाद आराजीयात से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शारित आरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया गया है। ऐसी स्थिती में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी